

का.आ. 134(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 312 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इकबाल मुहम्मद ट्रस्ट, गांधीपेट, कोलीमलाई रोड, लवडेल ऊटी-643003 द्वारा लाईट एंड लाइफ अकादमी, ऊटी (सामाजिक कल्याण और पर्यावरण जागरूकता परियोजना) को चलाने और उपस्करों, पुस्तकों, फर्नीचर/फिक्चरस, वाहनों की खरीद, भवन निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र स्कीम भा परियोजना के रूप में दो सौ लाख रूपए की अनुमानित लागत पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इकबाल मुहम्मद ट्रस्ट, गांधीपेट, कोलीमलाई रोड, लवडेल ऊटी-643003 द्वारा लाईट एंड लाइफ अकादमी, ऊटी (सामाजिक कल्याण और पर्यावरण जागरूकता परियोजना) को चलाने और उपस्करों, पुस्तकों, फर्नीचर/फिक्चरस, वाहनों की खरीद, भवन निर्माण की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।